Steno Gr-II

गृह मंत्रालय

(भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय)

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 237.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय और राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्रों में निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में (आशुलिपिक ग्रेड-III) भर्ती नियम, 2003, का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के भाषा प्रभाग तथा साथ ही साथ राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित सभी निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) एवं राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित निदेशक, जनगणना कार्य के कार्यालय में आशुलिपिक ग्रेड-III, भर्ती नियम, 2007 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षणिक अर्हताएं और उक्त पद से सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपए)	क्या चयन-पद अथवा अचयन-पद है	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
आशुलिपिक ग्रेड-III	21* (2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	4000-100-6000 रुपए	लागू नहीं	लागू नहीं	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए सामान्य अभ्यर्थियों के मामले में 40 वर्ष की आयु और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के मामले में 45 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय ।)

	(7)
	टिप्पणी 1 : आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह अथवा संघ राज्यक्षेत्र लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर) । **टिप्पणी 2 :** आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित अंतिम तिथि होगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : (1) मैट्रिक या समकक्ष ; (2) आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति (अंग्रेजी या हिन्दी) **वांछनीय :** कम्प्यूटर में दक्षता ।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती	**प्रतिनियुक्ति/आमेलन :** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर होने या लम्बी बीमारी या अध्ययन अवकाश पर होने के कारण या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या उससे अधिक अवधि की रिक्तियां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के उन अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर भरी जा सकती हैं जो : (क)(i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में 3050-4590 रुपए या समतुल्य के वेतनमान में नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में नियमित आधार पर आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और (ख) कालम में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों ।

(12)	
	टिप्पणी 1 : इसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पणी 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना	भर्ती करते समय किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(13)	(14)
स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के भाषा प्रभाग के लिए) : (1) सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) या वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा) —अध्यक्ष (2) भाषाविद या अनुसंधान अधिकारी (भाषा) या सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी अधिमानत: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित —सदस्य **स्थायीकरण के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय के लिए) :** (1) उप निदेशक, जनगणना कार्य या सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) —अध्यक्ष (2) सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) या सहायक निदेशक, जनगणना कार्य —सदस्य (3) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय का समूह 'क' अधिकारी अधिमानत: अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित —सदस्य	लागू नहीं ।

[फा. सं. ए-16011/12/2000-प्रशा.-II/प्रशा. V]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Office of the Registrar General, India)

New Delhi, the 7th November, 2007

G.S.R. 237.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Registrar General, India and the offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories (Stenographer Grade-III) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade-III in the Language Division of the Office of the Registrar General, India as well as the offices of the Directors of Census Operations in the States and the Union Territories, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories Stenographer Grade-III, Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade-III	21 * (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial	Rs. 4000-100-6000	Not applicable	Not applicable

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 27 years. (Relaxable for Government servants upto the age 40 years in the case of General candidate and upto 45 years in the case of candidate belonging to the Scheduled Castes or Schedules Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).	**Essential :—** (1) Matriculation or equivalent; (2) A speed of 80 word per minute in Stenography (English or Hindi). **Desirable:** Computer proficiency	Not applicable	Two years for direct recruits.

(7)
Note 1.—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Predesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union Territory of the Andaman and Nicobar Island or the Union Territory of Lakshadeep). **Note 2 :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date as advertised by the Staff Selection Commission.

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Direct recruitment throgh the Staff Selection Commission.	**Deputation/absorption :** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation/ absorption basis from officer of the Central Government or State Government : (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with eight years service in the grade rendered after appointment on regular basis in the scale of pay of Rs. 3050—4050 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possesing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8). **Note 1.**—The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appintment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall rodinarily not exceed three years. **Note 2.**—The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the Language Division of the office of the Registrar General, India)	Not applicable
(1) Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language) —Chairman	
(2) Linguist or Research Officer (Languages) or Assistant Directors of Census Operation (Technical) —Member	
(3) A Gropu 'A' officer of another Central Government office preferably belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. —Member	
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the respective Offices of the Directorate of Census Operations in States/ Union Territories) :	
(1) Deputy Director of Census Operations or Assistant Directors of Census Opertions (Technical) —Chairman	
(2) Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Directors of Census Operations —Member	
(3) A Gropu 'A' officer of another Central Government office preferably belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes. —Member	

[F. No. A-16011/12/2000-Ad. II/Ad-V]

D. S. SAINI, Under Secy.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2007

सा.का.नि. 238.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम संघ लोक सेवा आयोग (ज्येष्ठ संपदा प्रबंधक और बैठक अधिकारी) भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, से विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2009

सा.का.नि. 17.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III, भर्ती नियम, में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III, भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 होगा ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय (भाषा प्रभाग) और राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के कार्यालयों में आशुलिपिक ग्रेड-III, भर्ती नियम, 2007, में,—

(i) कालम (12) के अधीन प्रविष्टियों में "प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार पर भरी जा सकती है" शब्दों के स्थान पर "प्रतिनियुक्ति आधार पर भरी जा सकती है" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कालम (13) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"I पुष्टिकरण करने हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (भाषा प्रभाग, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय के लिए)

1. सहायक महारजिस्ट्रार (भाषा) अथवा वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भाषा)	—अध्यक्ष
2. अनुसंधान अधिकारी (भाषा) अथवा भाषाविद अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी)	—सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य

II पुष्टिकरण करने हेतु समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में स्थित जनगणना कार्य निदेशकों के संबंधित कार्यालयों के लिए)

1. उप निदेशक, जनगणना कार्य अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी)	—अध्यक्ष
2. सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) अथवा सहायक निदेशक, जनगणना कार्य	—सदस्य
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय के समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य"

[फा. सं. ए-16011/12/2000-प्रशा.-II/प्रशा.-V]

डी. एस. सैनी, अवर सचिव

मूल नियम दिनांक 17 नवम्बर, 2007 के सं. सा.का.नि. 237 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे ।

New Delhi, the 2nd February, 2009

G. S. R. 17.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President makes the following rules to amend the Office of the Registrar General, India, (Language Division) and the Offices of Directors of Census Operations in States and Union Territories Stenographer Grade-III, Recruitment Rules, 2007, namely :—

1. (1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories Stenographer Grade-III, Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Office of the Registrar General, India, (Language Division) and the Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories Stenographer Grade-III, Recruitment Rules, 2007,—

(i) in the entries under the column (12), for the words "may be filled on deputation/absorption basis", the words "may be filled on deputation basis" shall be substituted;

(ii) for the entries under the column (13), the following entries shall be substituted, namely :—

I. Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the Language Division of the Office of the Registrar General, India)

1. Assistant Registrar General (Language) or Senior Research Officer (Language) —Chairman
2. Research Officer (Language) or Linguist or Assistant Director Census Operations (Technical) —Member
3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member

II. Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation (for the respective Offices of the Directors of Census Operations in States and Union Territories) :

1. Deputy Director of Census Operations or Assistant Director of Census Operations (Technical) —Chairman
2. Assistant Director of Census Operations (Technical) or Assistant Director of Census Operations —Member
3. A Group 'A' Officer of another Central Government Office —Member"

[F. No. A-16011/12/2006-Admn. I]

D. S. SAINI, Dir.

Note : The principal rules were published in the Gazete of India *vide* No. G.S.R. 237, dated the 17th November, 2007.

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

CORRIGENDUM

New Delhi, the 3rd February, 2009

Subject : Committee on Subordinate Legislation—Examination of the Civil Aviation Department (Group 'C' post) Recruitment (Amendment) Rules, 2007 (GSR 31 of 2008).

G.S.R. 18.—In Para 1(1) of GSR 31 dated 4-2-2008 of Recruitment Rules, in the short title, the year 2007 may be corrected to read as 2008.

[No. A-12018/2/2004-IR]

K. UNNIKRISHNAN, Dy. Director (Admn.)

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 19.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (लेखाकार) भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।